

## उच्च दाब एवं निम्न दाब कनेक्शन के लिये निर्देश

ग्राहक वह व्यक्ति है जिसे लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाना है एवं जिसके परिसर को लाइसेंसधारी से बिजली प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए जोड़ा जा रहा है, जिसने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, वह व्यक्ति जिसका कनेक्शन बकाया राशि का नोटिस देकर विच्छेदित कर दिया गया है। ग्राहक के निम्न प्रकार हैं:- (i) निम्न दाब ग्राहक (एल टी ग्राहक)- वह जो कम वोल्टेज में लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त है। (ii) उच्च दाब ग्राहक (एच टी ग्राहक)- वह उच्च वोल्टेज में लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त है। (iii) अति उच्च दाब ग्राहक (ई एच टी उपभोक्ता)- वह अतिरिक्त उच्च वोल्टेज में लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त है।

- 1. अस्थायी विद्युत प्रदाय :-** कोई व्यक्ति जिसे दो वर्षों से कम अवधि के लिये विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो अस्थायी विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अस्थायी संयोजन की समय-अवधि को भवन निर्माण गतिविधियों तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उनकी इकाईयों स्थापित किये जाने के प्रयोजन से उपकरणों की स्थापना के लिये पाँच वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है।
- 2. स्थाई विद्युत प्रदाय:-** कोई भी व्यक्ति जिसे स्थाई उपयोग के लिये विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो स्थाई विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- 3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी:-** आवेदक को आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक(उच्चदाब/निम्नदाब) विद्युत कनेक्शन श्रेणी का चयन दी गई सूचि से करना है।
- 4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य:-** आवेदक को विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन का चयन दी गई सूचि से करना है
- 5. विद्युत आपूर्ति के कनेक्शन का प्रकार:-** आवेदक को निम्न दाब/ उच्च दाब का चयन करना है:-
  - निम्न दाब के लिए सिंगल फेस कनेक्शन का अधिकतम भार:-3 KW
  - निम्न दाब के लिए थ्री फेस कनेक्शन का अधिकतम भार:- 100 H.P.(75 KW)
  - उच्च दाब कनेक्शन के लिए निम्नतम वोल्टेज (11KV लाइन): 50 kVA, अधिकतम वोल्टेज : 300 kVA
  - उच्च दाब कनेक्शन के लिए निम्नतम वोल्टेज (33KV लाइन): 100 kVA, अधिकतम वोल्टेज : 10000 kVA
  - उच्च दाब कनेक्शन के लिए निम्नतम वोल्टेज (132KV लाइन): 5000 kVA, अधिकतम वोल्टेज : 50000 kVA
  - उच्च दाब कनेक्शन के लिए निम्नतम वोल्टेज (220KV लाइन या उससे अधिक): 40000 kVA

6. आवेदक विद्युत आपूर्ति का पता सही तरह से पिनकोड सहित अंकित करे जिससे कनेक्शन देने में कोई परेशानी ना हो, एवं बिजली के बिल पर सही पता दर्शाया जा सके. Built-up area को Sq. Feet में दर्शाये.
7. आवेदक पत्राचार का पता भी पिनकोड सहित इंकित करे जिससे आवेदक से संपर्क करने में कोई परेशानी ना हो
8. आवेदक अपना या संस्था का पूरा नाम लिखे जिसके नाम से विद्युत कनेक्शन लेना है.
9. आवेदक जिसके नाम से विद्युत कनेक्शन लेना है उसका 12 अंकों का आधार न. दर्ज करें.
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड करें.
11. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक शासन द्वारा दिया गया गरीबी रेखा का क्र. अवश्य दर्ज करें.